

उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1  
संख्या : 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018  
लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2018  
कार्यालय - ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान एवं राज्य की समेकित निधि पर भारत व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियों के राज्य की समेकित निधि में से विनियोग के उपबन्ध, उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 19 सन् 2018) से प्राधिकृत हो चुके हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुदानों / भारत विनियोगों को अब बजट का अन्तिम रूप समझा जाय।

2- वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट में प्रावधानित धनराशि (मतदेय / भारत) के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने तथा धनराशि को विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जाय -

- (1) 'व्यय की नई मदों', अंशपूर्वी विनियोजन तथा ऋण एवं अग्रिम और परियोजनाओं के पुनरीक्षित आगणन से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से एवं चालू योजनाओं / परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी की जायेंगी।
- (2) नयी परियोजना / योजना / सेवा के लिये वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने संबंधी जो भी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जायं उनमें अन्य वांछित विवरण के साथ-साथ संलग्नक - ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य उपलब्ध कराया जाय।
- (3) बजट में व्यवस्थित योजनायें / कार्यक्रम (केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित तथा राज्य / जिला सेक्टर) जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी / गैर सरकारी संस्था (NGO) को किसी प्रकार की सब्सिडी (cash or kind) / सहायता अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है, ऐसी सभी योजनाओं / कार्यक्रमों हेतु माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से योजना के लिये जारी मार्गदर्शक सिद्धान्त (guideline) / नियमावली के अनुसार योजनाओं / कार्यक्रमों की वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभागों द्वारा निर्गत की जायेंगी।
- (4) जिन मामलों में राज्य द्वारा अनुदानित संस्थाओं के वेतन व भत्ते के भुगतान का दायित्व राज्य सरकार पर है, उनके लिए व्यय की मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत बजट प्रावधान से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ सुसंगत नियमों व स्थाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आदेशों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी। यदि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी।

- (5) ऐसी राज सहायतित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनके वचनबद्ध व्ययों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वहन करने का दायित्व राज्य सरकार का है और उन्हें मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत सहायता दी जानी है, के लिये दो किशतों में धनराशि अवमुक्त की जाय जिसमें प्रथम किशत प्रशासकीय विभाग द्वारा विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त तथा दूसरी किशत प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेगी।
- (6) छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था / किसान पेंशन तथा निराश्रित महिलाओं एवं विकलांगजनों के भरण पोषण हेतु सहायता आदि, जिनकी स्वीकृति / व्यय के लिये सक्षम स्तर के अनुमोदन से निर्गत की गयी नियमावली अथवा स्थाई आदेश उपलब्ध हों, के लिये आवश्यक धनराशि की स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी। कोषागार से धनराशि का आहरण, व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
- (7) मानक मद "14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के अन्तर्गत बजट प्रावधान से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेंगी।
- (8) विकास प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा नगरीय निकायों आदि को दी जाने वाली 02 प्रतिशत स्टॉम्प ड्यूटी की धनराशि प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेगी।
- (9) जिन मामलों में केन्द्र सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा योजना का वित्त-पोषण किया जाना हो, उनमें किशतों का निर्धारण केन्द्र सरकार / संस्थाओं की शर्तों के अनुसार किया जाये। केन्द्र सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा वित्त-पोषित योजनाओं के संबंध में उनके द्वारा लगायी गयी शर्तों का स्वीकृति आदेशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय और उनका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- (10) स्वायत्तशासी संस्थायें जिन्हें प्रशासकीय विभाग द्वारा सहायता अनुदान / अंशपूजी / ऋण स्वीकृत किया जाता है, के कोषागार से भुगतान हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग-I के प्रस्तर 209 के अनुसार स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत बिलों पर स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी अथवा प्राधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना चाहिए। यदि स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी द्वारा बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर न किया जाना हो तो ऐसे में स्वायत्तशासी संस्थाओं के द्वारा प्रस्तुत बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर किये जाने वाले सरकारी अधिकारी का स्पष्ट उल्लेख वित्तीय स्वीकृति में किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(11) किसी परियोजना / योजना / कार्यक्रम आदि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने की स्थिति में -

- (क) निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति जारी की जाय ।
- (ख) निर्माण कार्य जिनमें प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वयं आगणन का मूल्यांकन किया जाना है, उन प्रकरणों में वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व तथा अन्य प्रकरणों में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी.एफ.ए.डी.), व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) को संदर्भित करने से पूर्व विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री से राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कार्यदायी संस्था में से किसी एक का चयन सुसंगत शासनादेशों के प्रावधानों के अनुरूप करा लिया जाय । कार्यदायी संस्था के चयन के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत संस्था अनुमानित निर्माण लागत का कार्य करने तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए अधिकृत है । कार्यदायी संस्था के चयन के उपरान्त, अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर, नई संस्था चयनित न की जाय, ताकि परियोजना की लागत में कॉस्ट-ओवर-रन्स की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके ।
- (ग) यदि नये निर्माण कार्य की प्रति कार्य लागत रुपये 5.00 करोड़ से अधिक है, तो वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से निर्गत की जायेंगी । यदि नये निर्माण कार्य की प्रति कार्य लागत रुपये 5.00 करोड़ तक है, तो वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभागों द्वारा निम्न शर्तों के अधीन जारी की जायेंगी -
- (अ) नये निर्माण कार्य की लागत रुपये 2.00 करोड़ तक है, तो ऐसे मामलों में सम्पूर्ण धनराशि एक किश्त में प्रशासकीय विभाग द्वारा अवमुक्त की जायेगी ।
- (ब) नये निर्माण कार्य की लागत रुपये 2.00 करोड़ से अधिक तथा रुपये 5.00 करोड़ तक है, तो ऐसे मामलों में धनराशि दो समान किश्तों में प्रशासकीय विभाग द्वारा अवमुक्त की जायेगी । प्रथम किश्त की राशि का 75 प्रतिशत अंश उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर दूसरी किश्त अवमुक्त की जाये ।
- (स) किसी नये निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त क्रमांक (अ) एवं (ब) में उल्लिखित धनराशि से कम धनराशि अवमुक्त की जानी है, तो ऐसे मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से धनराशि अवमुक्त की जायेगी ।
- (घ) यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 5.00 करोड़ से अधिक और रुपये 10.00 करोड़ तक है, तो धनराशि दो किश्तों में अवमुक्त की जाये जिसमें प्रथम किश्त 50 प्रतिशत तक हो । प्रथम किश्त की राशि का 75 प्रतिशत अंश उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर दूसरी किश्त अवमुक्त की जाये एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें ।

- (च) यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 10.00 करोड़ से अधिक है, तो निर्माण कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था को प्रथम किश्त के रूप में निर्माण लागत की 40 प्रतिशत तक धनराशि अवमुक्तकी जाय । प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत उपयोग होने पर प्रशासकीय विभाग के द्वारा निर्माण कार्य की दूसरी किश्त 40 प्रतिशत तथा प्रथम और दूसरी किश्त की सम्मिलित राशि के 75 प्रतिशत का उपयोग होने पर तीसरी किश्त के रूप में 15 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त किया जाये । निर्माण कार्य की दूसरी एवं तीसरी किश्त, निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किये जाने के बाद जारी की जाये । बकाया 5 प्रतिशत की राशि के अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर की जाये ।
- (छ) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की वित्तीय स्वीकृति में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय ।
- (ज) जिन निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कुर्सी क्षेत्रफल दरों / एलीवेशन एरिया दरों / मानकीकृत लागत के आधार पर निर्गत करते हुए प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है, उनमें द्वितीय एवं अगली किश्तें तभी अवमुक्त की जायें जब परियोजना का जनपद के शिड्यूल ऑफ रेट पर विस्तृत आगणन गठित कर उस पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26 अगस्त, 2014 के प्रस्तर-4 एवं 5 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाय ।
- (झ) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय ।
- (12) विभागीय अनुदानों में जहाँ योजनाओं के लिये अलग से भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु प्रावधान है, ऐसे प्रकरणों में भू-प्रतिकर हेतु वित्तीय स्वीकृति, प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी ।
- (13) स्वीकृतियाँ जारी करने से पूर्व विभागों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ / हो रहा है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- (14) उप प्रस्तर 2(11) में दिये गये निर्देश स्थानीय निकायों / पंचायती राज संस्थाओं के लिये मानक मद '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि से पोषित निर्माण कारणों के सम्बन्ध में भी समान रूप से लागू होंगे ।
- (15) ऐसे मामलों, जिनमें राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं (NGO) को मानक मद '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान दिया जाना है, उसमें उप प्रस्तर 2(11) के प्रावधान लागू नहीं होंगे ।
- (16) ऐसी केन्द्र पुरोनिधानित चालू योजनायें / कार्यक्रम, जिनमें अधिष्ठान व्यय (वेतन-भत्ते आदि) सन्निहित है तथा योजना के कार्यान्वयन एवं वित्त पोषण के लिए केन्द्र सरकार की वचनबद्धता है और विगत वर्षों में केन्द्रांश नियमित रूप से प्राप्त होता रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2018-2019 में भी केन्द्रांश प्राप्त होने की पूरी-पूरी सम्भावना है तो ऐसे मामलों में केन्द्रांश की प्रत्याशा में तीन माह (प्रथम त्रैमास) के वेतन-भत्ते आदि के लिये वित्तीय स्वीकृति प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी की जा सकती है ।
- (17) केन्द्र प्रायोजित चालू योजनायें / परियोजनायें / कार्यक्रम, जिनके कार्यान्वयन एवं वित्त पोषण के लिए केन्द्र सरकार की वचनबद्धता है और विगत वर्षों में केन्द्रांश नियमित रूप से प्राप्त होता रहा है तथा 31 मार्च, 2018 तक अनुमन्य केन्द्रांश के सापेक्ष कोई धनराशि बकाया नहीं है और वित्तीय वर्ष 2018-2019 में केन्द्रांश प्राप्त हो चुका है तो ऐसी योजनाओं / परियोजनाओं के केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृतियाँ (केन्द्रांश), प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि की पुष्टि वित्त (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग से करने के उपरान्त, प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी की जायेंगी ।
- (18) केन्द्र पोषित योजनाओं में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति, योजना में केन्द्रांश की धनराशि व्यय होने के उपरान्त प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेंगी ।
- (19)(क) बजट में कतिपय योजनाओं के लिये सम्मिलित की गयी एकमुश्त व्यवस्था के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-31 के अनुसार तत्काल कार्यवाही की जाय ताकि स्वीकृतियाँ जारी करने में कोई विलम्ब न होने पाये । एकमुश्त बजट व्यवस्था के समक्ष "व्यय की नयी योजनाओं" के लिये वित्तीय स्वीकृतियाँ, उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-94 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार योजना की कुल लागत पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी की जायेंगी । एकमुश्त प्रावधान से रुपये 5.00 करोड़ तक की लागत की नयी परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ के लिये वित्त विभाग के परामर्श / सहमति की आवश्यकता नहीं होगी । प्रशासकीय विभाग द्वारा अगले वर्ष 15 अप्रैल तक माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष पैरा-94 के अन्तर्गत जारी सभी स्वीकृतियों का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) जिन योजनाओं के लिये पूर्व में एकमुश्त बजट प्रावधान से धनराशि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-94 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा चुकी है, उन योजनाओं के लिए अनुमोदित लागत की सीमा तक शेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी। इस हेतु पुनः पैरा-94 के अन्तर्गत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु योजना की मूल लागत / योजना के प्रकार या प्रसार में परिवर्तन होने की दशा में वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के पूर्व यथावश्यक पैरा-94 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा।

(20) चालू परियोजनायें, जिनके सम्बन्ध में प्रशासनिक अनुमोदन और परियोजनाओं पर होने वाले अनावर्तक व आवर्तक व्यय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, के लिए बजट में उपलब्ध प्रावधान से आवश्यकतानुसार शेष किश्तों की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति, विगत वर्ष की अप्रयुक्त धनराशि, यदि कोई हो, का समायोजन करने के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी।

(21) माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिन मामलों में भुगतान किया जाना है, ऐसे मामलों में न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त कर प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्णय लेकर भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायेंगी।

(22) वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन के अवशेष के भुगतान की व्यवस्था राज्य कर्मचारियों हेतु मानक मद "52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)" तथा सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मिकों के लिये मानक मद "53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज सहायता)" में की गयी है। अतः वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-24/2017/वे.आ.-2-1149/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित वेतन के 50 प्रतिशत अवशेषों के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृतियाँ मानक मद-52 / मानक मद-53 से प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी की जायेंगी।

3- उक्त प्रस्तर-2 के अनुसार वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 4- योजनाओं हेतु प्रावधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी.एल.ए./ डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में वित्त विभाग की सहमति एवं माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से स्वीकृत धनराशि को कार्यदायी संस्था के डिपॉजिट खाते में जमा किया जा सकेगा। डिपॉजिट कार्यों के लिये प्राप्त धनराशियाँ सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष '8782' में जमा कर वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक 03 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपॉजिट क्रेडिट लिमिट (डी.सी.एल.) निर्गत करके व्यय की जायेंगी। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना की धनराशि स्वीकृत कर डी.आर.डी.ए. के डिपॉजिट खाता में स्थानान्तरित करके योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय की जायेगी।
- 5- ज़िला योजनाओं की स्वीकृतियाँ सीधे संबंधित ज़िला स्तरीय अधिकारियों को जारी की जायं तथा उनकी प्रतियाँ संबंधित ज़िलाधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को भी पृष्ठांकित की जायं। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 6- रिसोर्स लिंक योजनाओं (यथा केन्द्र से वित्त पोषित, वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषित तथा वाह्य सहायतित) में प्रावधानित धनराशियों का अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोग न किया जाये।
- 7- परियोजनाओं में टाइम ओवर-रन/कॉस्ट ओवर-रन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय।
- 8- समस्त प्रशासकीय विभाग सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय। वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में कुल बजट प्रावधान के 30 प्रतिशत से अधिक धनराशि तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में 15 प्रतिशत से अधिक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ न जारी की जायं।
- 9- विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (केश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- 10- अनुदानों को विभागवार / विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखा शीर्ष अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है जिसके फलस्वरूप महालेखाकार कार्यालय में व्यय को सुसंगत लेखाशीर्ष / अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकन (बुकिंग) में त्रुटि की संभावना रहती है। अतः वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय। भारत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

व्यय के लिए जारी की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों में मानक मद के आगे कोष्ठक में 'भारित' शब्द का उल्लेख अवश्य कर दिया जाय। बजट साहित्य में विस्तृत लेखाशीर्ष को चार अंकों में दर्शाया गया है जिसके प्रथम दो अंक उप शीर्ष को प्रदर्शित करते हैं। वित्तीय स्वीकृतियों / आवण्टन पत्रों में विस्तृत शीर्ष का उल्लेख चार अंकों में किया जाय परन्तु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों में विस्तृत शीर्ष के अन्तिम दो अंको (चार अंकों में से प्रथम दो अंक छोड़कर) को ही अंकित किया जाय। प्रशासकीय विभागों को इस सम्बन्ध में यदि किसी परामर्श की आवश्यकता हो, तो वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 से परामर्श प्राप्त कर सही लेखाशीर्ष के अन्तर्गत ही स्वीकृतियाँ जारी की जायें।

11- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वर्षों में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव का यह दायित्व होगा कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये व्यय की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करायें। वे कृपया यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार / अन्य संस्थाओं को ऐसी योजनाओं के व्यय के आडिटेड लेखों के संबंध में प्रमाण-पत्र के साथ प्रतिपूर्ति दावे समय से प्रस्तुत किये जायें ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई / विलम्ब न हो।

12- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित / वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

14- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में स्पष्ट किया गया है कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, और सचिवालय के संबंधित प्रशासकीय विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये। अतः नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के साथ-साथ प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

15- वित्तीय स्वीकृतियों के शासनादेश की प्रतिलिपि यथास्थिति, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजने के साथ-साथ वित्त विभाग के सम्बन्धित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को भी भेजना सुनिश्चित किया जाय। स्थानीय निकायों एवं शासन से अनुदानित संस्थाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियों के शासनादेश निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भी पृष्ठांकित किये जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



16- वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित आदेशों को वेब साईट <http://shasanadesh.up.nic.in> पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाय ।

संजीव मित्तल  
प्रमुख सचिव, वित्त  
एवं वित्त आयुक्त ।

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्या : 1/2018/बी-1-375(1)/दस-2018-231/2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 2 महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
- 4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
- 5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
- 6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
- 8 निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।
- 9 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 10 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 11 गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

लहरी यादव  
वित्तीय सलाहकार (बजट)  
एवं विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

**INFORMATION TO BE SUBMITTED WITH PROPOSALS OF FINANCIAL SANCTION OF  
" NEW SERVICE / NEW EXPENDITURE "**

Department ..... Financial Year .....

Grant No. and Name .....

(Amount in lakh rupees)

---

**(A) Statement of Proposal**

1. Name of the Scheme :
2. Description of the Scheme and its Objects :
3. (i) Description of the manner in which the scheme is proposed to be implemented including the mention of the agency through which the Scheme will be executed :
- (ii) Time schedule of the Programme and target date of completion :

---

**(B) Financial Implications of the Proposal** :

4. Total expenditure involved (Recurring and non-recurring to be shown separately), its broad item-wise details and year-wise phasing : Share of establishment expenditure in the total recurring expenditure be indicated (in percentage) :
5. If the creation of posts is required, the number of posts (Statement of pay-scales and staffing norms be attached) :
6. If the expenditure is on works; the broad details thereof, their justification and basis of estimates. Year-wise estimated expenditure on maintenance subsequent to the completion of work or/ and subsequent to the expiry of warrantee period (if any) on equipment / machines. :
7. Sources of Funds for the Scheme -
- (i) Central Plan/ Centrally Sponsored Schemes -
- Financing pattern be clearly mentioned. Position of funds receivable/ received from the Centre be clarified.
- (ii) Schemes funded by various Financial Institutions - Details be given according to (i) above

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- (iii) Others - Details of funds expected to be received for the scheme through dovetailing by convergence with a view to optimum utilization of the resources.

(In case of the Scheme being a Central Scheme/ Centrally Sponsored Scheme or funded by a Financial Institution, the Central share or the share of the Financial Institution and the State share be given clearly)

8. Details of year-wise liabilities against the estimated cost of remaining works (including land-building, furnishings, machines, equipment, vehicle etc) of different programmes / projects / schemes be given in prescribed form. (Consolidated year-wise details can be given in Form B.M.-12A in respect of the works / schemes costing upto Rs. five crore, but individual works / schemes of more than Rs. five crore should be shown separately in Form B.M.-12B).

9. Classification of the proposed budget estimate according to Heads of Account-

(It should be clearly mentioned whether the proposed provision is for both, the Central share the share of the financial institution and the State share or for State share only)

Revenue Expenditure	:	.....
	:	.....
Total Revenue Expenditure	:	.....
Capital Expenditure	:	.....
	:	.....
Total Capital Expenditure	:	.....

## 12. Other Related Details

(C) Supplementary information, if any

(D) Points on which sanction are sought

Name of Section .....

File No. ....

Date .....

Signature .....

Additional Chief Secretary /

Principal Secretary/ Secretary of the

Administrative Department

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।